



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 508 राँची, सोमवार 21 आश्विन 1936 (श०)  
13 अक्टूबर, 2014 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

##### संकल्प

10 अक्टूबर, 2014

1. उपायुक्त, राँची का पत्रांक-3506, दिनांक 22 नवम्बर, 2005
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2781, दिनांक-1 जून, 2006
3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1623, दिनांक 14 मई, 2007, पत्रांक- 927, दिनांक-30 मार्च, 2007 एवं पत्रांक-2432, दिनांक-16 जून, 2014

**संख्या-5/आरोप-1-665/2014 का.- 9952--श्री शिवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 534/03, गृह जिला- नवादा), अंचलाधिकारी, माण्डर, राँची के पद पर इनके कार्यावधि से संबंधित प्रपत्र- 'क' में आरोप उपायुक्त, राँची के पत्रांक-3506, दिनांक 22 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।**

श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

1. **अंचल मुख्यालय में नहीं रहना:-** निरीक्षण के दौरान उपस्थित जनता एवं अन्य लोगों ने बताया कि अंचल अधिकारी अंचल मुख्यालय में नहीं निवास करते हैं तथा कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। प्रायः जिला में भ्रमण करते रहते हैं, जिससे आम जनता को काफी पेशानी का सामना करना

पड़ रहा है। इस कार्यालय के आदेश जापांक- 778/गो0, दिनांक 18 अप्रैल, 2005 द्वारा सभी पदाधिकारियों को प्रखंड/अंचल मुख्यालय में रहने का स्पष्ट निदेश दिया गया है एवं विशेष परिस्थिति में ही अद्योहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति से मुख्यालय छोड़ने का निदेश दिया गया है। मांडर प्रखण्ड/अंचल में औचक निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड/अंचल कार्यालय में उपस्थित जनता एवं अन्य लोगों में शिकायत कि की श्री शिवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, अंचल अधिकारी मुख्यालय में नहीं निवास करते हैं तथा कार्यालय में भी उपस्थित नहीं रहते हैं। प्रायः उन्हें जिला मुख्यालय में भ्रमण करते रहते हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, रांची द्वारा अंचल अधिकारी, माण्डर के अंचली मुख्यालय में नहीं रहने की पुष्टि की। उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर के साथ उनका Mutual Arrangement है। उनके द्वारा यह कहना पद की गरिमा का उल्लंघन तो है ही साथ यह भी उजागर करता है कि उसके लिए सरकारी नियमों/वरीय पदाधिकारियों के आदेशों का कोई महत्व नहीं है।

**2. सूखाराहत अन्तर्गत तालाब योजनाओं का क्रियान्वयन:-** सुखाराहत अन्तर्गत तालाब योजना संख्या-01/04-05 का अवलोकन किया गया। इस योजना की प्राक्कलित राशि 85,300.00 (पचासी हजार तीन सौ) रुपये के विरुद्ध अभी तक 47,500.00 (सैंतालीस हजार पाँच सौ) रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया है, जिसके विरुद्ध कनीय अभियंता/संहायक अभियंता द्वारा 48,046.00 (अड़तालीस हजार छियासी) रुपये के कार्य का मूल्यांकन कर मापी पुस्तिका में मापी अंकित किया गया है। इस योजना का अभिलेख दिनांक 9 अक्टूबर, 14 को प्रारंभ किया गया है एवं प्रथम अग्रिम राशि 7,500/- (सात हजार पाँच सौ) रुपये दिनांक 21 मार्च, 2005 को किया गया है। योजना की प्रगति अत्यन्त धीमी है। इस प्रकार सूखाराहत कोष योजनान्तर्गत क्रियान्वित अन्य तालाब योजनाओं के अभिलेख का अवलोकन किया गया है। समय पर अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। योजनओं के कार्यान्वयन में कोई अभिरुचित नहीं ली जा रही है, जिससे सूखाराहत कोष अन्तर्गत तालाब योजना निर्माण की स्थिति इस अंचल में अत्यन्त ही खराब है।

**3. सूखाराहत कोष योजनान्तर्गत क्रियान्वित तालाब योजनाओं में अनियमितता:-** दिनांक 9 जून, 2005 को मांडर अंचल कार्यालय में सूखाराहत कोष योजनान्तर्गत क्रियान्वित तालाब योजनाओं के अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम बोबरो में सूखाराहत कोष से खाता संख्या-71, खेसरा संख्या-257 पर तालाब की योजना, योजना संख्या 20/03-04 स्वीकृत की गई है। इस योजना की प्राक्कलित राशि 1,68,200.00 (एक लाख अड़सठ हजार दो सौ) रुपये के विरुद्ध योजना में कोई भी अग्रिम नहीं दी गई है न ही योजना अभिलेख के अवलोकन से कार्य प्रारंभ किया गया प्रतीत होता है।

खाता संख्या-71 एवं खेसरा संख्या-257 पर पुनः सुखाराहत कोष से एक तालाब की योजना, योजना संख्या 3/04-05 स्वीकृत की गई जिसमें 85,300.00 (पचासी हजार तीन सौ) रुपये प्राक्कलित राशि के विरुद्ध 67,500.00 (सड़सठ हजार पाँच सौ) रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया है एवं 49,924.00 (उन्चास हजार नौ सौ चैंबीस) रुपये का मापी अंकित है। एक खाता एवं खेसरा पर दो बार सूखाराहत कोष से 5 तालाब योजना की स्वीकृति प्रदान की गई एवं वर्ष 2003-2004 में स्वीकृत

तालाब योजना को क्रियान्वित नहीं कराया जा सका। वर्ष 2004-2005 में उसी खाता, खेसरा पर तालाब की योजना स्वीकृत की गई।

4. **वृद्धा पेंशन राशि का विगत चार माह से वितरण नहीं किया जाना:-**दिनांक 9 जून, 2005 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा माण्डर प्रखण्ड/अंचल के निरीक्षण के क्रम में अंचल के रोकड़ पंजी के अवलोकनोपरांत पाया गया कि वृद्धवस्था पेंशन मद में 12,40,000/- (बारह लाख चालीस हजार) रुपये वितरण हेतु लंबित है। अंचल अधिकारी, माण्डर ने सूचित किया कि वृद्धावस्था पेंशन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए योजना है। इतनी अधिक राशि वितरण के लिए लंबित रहना श्री शिवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, अंचल अधिकार माण्डर/श्री सोमामेठ उरांव अंचल निरीक्षक माण्डर का कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है।

समाज के कमजोर वर्ग को लाभान्वित करने वाला योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर करने का सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश है।

5. **पंजी-VII का संधारण निर्धारित प्रपत्र में नहीं किया जाना:-**पंजी का अवलोकन किया गया। वर्ष 2003-2004 में 245 एवं ववर्ष 2004-2005 में 172 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पंजी में निर्धारित प्रपत्र में व्योरा अंकित नहीं किया गया है। आवेदन प्राप्ति की तिथि पंजी में अंकित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त मामला कितने दिनों से लंबित है। प्राप्त आवेदन के विरुद्ध कितने मामले निष्पादित किए गए पंजी के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है।

स्पष्टतः श्री सिन्हा द्वारा यह कृत्य आम जनता और वरीय पदाधिकारी को गुमराह करने प्रयास है।

6. **अतिक्रमण पंजी का संधारण विधिवत ढंग से नहीं किया जाना:-**अतिक्रमण पंजी में निर्धारित प्रपत्र में व्योरा अंकित नहीं है। किसी भी मामले में आवेदन प्राप्ति की तिथि अंकित नहीं किया गया है। ग्राम का नाम सभी मामले में अंकित नहीं है। कितने मामले अभी तक निष्पादित किए गए पंजी के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है।

इससे श्री सिन्हा द्वारा इस तरह से आम जनता और वरीय पदाधिकारी को गुमराह करने का प्रयास है।

7. **सूखा राहत कोष अन्तर्गत निर्माणाधीन तालाब योजनाओं के धीमी प्रगति:-** मांडर प्रखण्ड में सूखाराहत कोष अन्तर्गत 35.96 लाख रुपये आवंटित किये गये थे। जिसके विरुद्ध 15 योजनाओं में स्वीकृति 12.80 लाख रुपये प्राक्कलित राशि पर दी गई है, जिसकी प्राक्कलित राशि 8.53 लाख रुपये है। 10 योजनाओं के विरुद्ध अभी तक 6 योजनाएँ पूर्ण करायी गई है एवं 5.11 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

उपरोक्त व्योरा से स्पष्ट है कि मांडर प्रखण्ड अन्तर्गत क्रियान्वित तालाब योजनाओं की प्रगति अत्यंत ही धीमी है, जो अंचल अधिकारी के कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं अपने निर्धारित कार्यक्रम के प्रति लापरवाही बरतने का द्योतक है।

**8. रोकड़पंजी अन्तर्गत अद्यतन नहीं करना:-** अंचल कार्यालय के सामान्य पंजी अवलोकन करने से जानकारी हुई कि नाजिर के द्वारा दिनांक 13 मई, 2005 से 19 जून, 2005 तक रोकड़ पंजी में कोई इन्द्राज नहीं किया गया है। इस संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होने के नाते श्री सिन्हा की जिम्मेवारी बनती है कि प्रत्येक दिन वित्तीय नियमों के अनुरूप रोकड़ पंजी हस्ताक्षर की जाये। इतनी लम्बी अवधि तक रोकड़ पंजी में Subsidiary Cash book की प्रविष्टियों के बारे में न तो नाजिर को जानकारी है न ही प्रधान सहायक को, नहीं श्री सिन्हा को कोई जानकारी है। यह हास्यास्पद स्थिति है।

श्री सिन्हा का यह कृत्य वित्तीय नियमों की अवहेलना एवं सरकारी परिपत्रों के विरुद्ध कार्य करने का द्योतक है।

**9. दाखिल खारिज से संबंधित अभिलेखों में अनियमितता:-** दाखिल खारिज से संबंधित अभिलेखों में निम्नलिखित अनियमितता है:- (1) अभिलेख संख्या- 83/R-27/2004-05 यह अभिलेख दिनांक 20 जुलाई, 2004 को प्रारंभ किया गया है किस तिथि को आगे उपस्थापित करना है इसका उल्लेख नहीं है। दिनांक 6 अगस्त, 2004 को पुनः तिथि अंकित है परन्तु अभिलेख उपस्थापन कि तिथि एवं अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। पुनः दूसरी तिथि उप स्थापन की तिथि एवं अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, दाखिल खारिज जाँच प्रतिवेदन हल्का कर्मचारी एवं चल निरीक्षक की अनुशंसा प्राप्त है, परन्तु अग्रतर कार्रवाई नहीं की गई है। अभिलेख मित दस महीनों से लंबित है।

(2) 166/R-27/2004-05(Te-1/05-06) यह अभिलेख किस तिथि को प्रारंभ किया गया है तथा किस तिथि को उपस्थापित करना है, इसका उल्लेख नहीं है। आवेदन पत्र कब प्राप्त है, इस पर न तिथि अंकित है न प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर है, न अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर है।

(3) अभिलेख संख्या-163/R-27/2004-05 यह अभिलेख दिनांक 7 मई, 2005 को पारित आदेश अंचल निरीक्षक को अग्रतर कार्रवाई हेतु seen नहीं कराया गया है।

(4) अभिलेख संख्या-129/R-27/2004-05(TR4/R-27/200-06, यह अभिलेख किस तिथि को प्रारंभ किया गया है इसका अगली अभिलेख उपस्थापन की तिथि आवेदन पत्र पर तिथि अंकित नहीं है। उल्लेख आदेश पत्र में नहीं है कब प्राप्त है इस पर न, तिथि अंकित है न ही प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर अंकित है और न ही अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर।

नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई एवं अनियमितता बरती गई।

अंचल अधिकारी द्वारा वर्णित चार अभिलेखों में नियमानुसार कार्रवाई नहीं किए जाने का कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया है। अपनी गलती छुपाने के लिए कार्यवाह सहायक पर गलती थोप दी गई है। इस बिन्दु पर अंचल अधिकारी का स्पष्टीकरण झूठ का पुलिंदा है।

विभागीय पत्रांक-2781, दिनांक-1 जून, 2006 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर मंतव्य की माँग की गयी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1623, दिनांक-14 मई, 2007, पत्रांक-927, दिनांक-30 मार्च, 2007 एवं पत्रांक-2432, दिनांक-16 जून, 2014 द्वारा श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री सिन्हा के विरुद्ध वृद्धावस्था पेंशन के वितरण एवं सूखा राहत कोष अंतर्गत तालाब योजनाओं के निर्माण में शिथिलता बरतने संबंधी आरोप संख्या-4 एवं 7 को प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्री सिन्हा के विरुद्ध 'निन्दन' का लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रमोद कुमार तिवारी,**

सरकार के उप सचिव।

-----